

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के पत्र संख्या-रा0बा0आ0/146/75/कोविड/2022-23 दिनांक 04.05.2022 के अनुसार जनपद में संचालित प्रांगनबाड़ी केन्द्रों के 06 वर्ष तक के बच्चों को कोविड की सम्भावित लहर के मंडराते खतरे एवं भीषण गर्मी/लू से सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यालय हेतु घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश तक आंबनबाड़ी केन्द्रों पर भी ग्रीष्मकालीन अवकाश तत्काल प्रभाव से घोषित किया जाता है, जिससे कोरोना एवं गर्मी/लू दोनों से बच्चों की सुरक्षा हो सके।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(नेहा प्रकाश)
जिलाधिकारी
श्रावस्ती।

कार्यालय, जिलाधिकारी-श्रावस्ती।

पत्रांक C-165 /जि0का0अधि0/आं0बा0केन्द्र/2022-23 दिनांक 27 मई, 2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिला सूचना अधिकारी श्रावस्ती को इस निर्देश के साथ कि उक्त घोषित अवकाश को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रावस्ती।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि अग्रिम आदेशों तक उपरोक्त का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
श्रावस्ती।